न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 42/2017

RCMS No. 2017/00210

प्रार्थीः–	**बनाम**	**अप्रार्थीगणः–**
1 घीसाराम पुत्र धन्नाराम जाति कलाल निवासी गुड़ा कला तहसील सोजत		1. दुर्गाराम पुत्र अगरचन्द जाति कलाल निवासी गुड़ा कला तहसील सोजत 2. सरपंच ग्राम पंचायत गुड़ा कला

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम

उपस्थिति –

सुश्री उषा चौहान, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री गोरादान आशिया, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांकः– 25/10/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, गुड़ा कला द्वारा मिसल संख्या 02/1995–1996 संकल्प संख्या 06 दिनांक 16.05.1996 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 18.05.1996 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस भूमि व मकान के सम्बन्ध में अप्रार्थी संख्या 2 ने जो पट्टा संख्या 1 जारी किया है, उसी भूमि व मकान के सम्बन्ध में पूर्व में प्रार्थी के पिता धन्नाराम व प्रार्थी स्वयं घीसाराम के नाम का पट्टा जारी करने का आदेश पारित किया था। जिसके पट्टा संख्या 76 है। जिस पर प्रार्थी का मकान निर्मित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत से मिल कर प्रार्थी के पट्टासुदा भूमि के कुछ भाग को सम्मिलित करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी करवा दिया, जो विधि विरूद्ध है। इस भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के चबूतरी वाले भूखण्ड पर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे के आधार पर प्रार्थी के मकान की दीवार पर स्वयं की दीवार खड़ी कर उस पर शौचालय निर्माण कर दिया एवं पूर्व में जो स्नानघर बना हुआ था, उसे भी अपने कब्जे में ले लिया है। अप्रार्थी संख्या 1 के मकान की लमबाई 26 फीट है, जबकि जैर निगरानी पट्टे की लम्बाई 31 फीट दर्शाई गई है, जो विधि विरूद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा 31 फुट का पट्टा हासिल करने से प्रार्थी के बरामदे का दरवाजा, बरामदा एवं स्नानघर के पास का दरवाजा दोनों की अवरूद्ध हो गए है तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के मकान के तीनों मार्गों को उक्त फर्जी पट्टे के जरिये बन्द कर दिया है, जिसके कारण प्रार्थी के आने जाने का रास्ता बाधित हो गया है। प्रार्थी के मकान के अग्रभाग में दरवाजे के आगे बीच में बरामदा एवं बरामदे के पास स्नानघर तथा बाहर की तरफ चबुतरी का निर्माण किया गया है, जो अर्से दराज से किया हुआ है तथा

अति॰ जिला कलेक्टर, पाली

प्रार्थी उसका उपयोग उपभोग शांतिपूर्ण तरीके से अर्से दराज से करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थी के कब्जासुदा एवं पट्टासुदा चबुतरी पर अपनी ताकत व बल पर जोर जबरदस्ती, अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से अपना शौचालय बनाने लगा तो प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी नहीं माना एवं जबरदस्ती शौचालय का निर्माण करवा दिया, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी ने सिविल न्यायालय सोजत में एक वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक आज्ञा का प्रस्तुत किया है, जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 08.12.2015उ को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दावे को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए निर्णय दिया कि वादी का वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं आज्ञात्मक व्यादेश विरूद्ध प्रतिवादीगण आंशिक रूप से तय किया गया, जिसके अनुसार वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है तथा प्रतिवादी वादी के भाग पर वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा एव उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी विवादित आराजी अप्रार्थी संख्या 1 की पुश्तैनी आराजी है। प्रकरण में मात्र चबूतरी को लेकर विवाद है, जो चबूतरी अप्रार्थी संख्या 1 की पट्टासुदा है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के पश्चात उक्त पट्टे को पंजीबद्ध करवाया जा चुका है। हालांकि उक्त पट्टे में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण प्रक्रिया की पालना की गई है तथा उसके पश्चात पट्टा पंजीबद्ध करवाया है तथा पंजीबद्ध दस्तावेजी को अपास्त करने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर एकमात्र रूप से सिविल न्यायालय को ही होने से भी निगरानी खारिज योग्य है। अतः निगरानी खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी याचिका ग्राम पंचायत, गुड़ा कला द्वारा मिसल संख्या 02/1995–1996 संकल्प संख्या 06 दिनांक 16.05.1996 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 18.05.1996 के विरूद्ध पेश की गई है। सम्पूर्ण निगरानी में मुख्य रूप से विवाद का बिन्दु, जो प्रकट हुआ है, वह प्रार्थी के पट्टासुदा मकान के आगे की चबूतरी है, जो प्रार्थी के पट्टे में दक्षिणी–पूर्वी कोण पर दर्शित है। उक्त चबूतरी को सम्मिलित करते हुए प्रार्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा संख्या 76 दिनांक 15.08.1975 जारी किया गया है। ग्राम पंचायत की मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपी का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आवेदन कर अपने कब्जासुदा मकान का पट्टा जारी कराने का निवेदन करने पर दिनांक 25.08.1995 को मिसल कायम कर सचिव को नक्शा बनाने के आदेश दिए गए। सचिव द्वारा नक्शा प्रस्तुत करने पर दिनांक 08.09.1995 को तीन पंचों की कमेटी मनोनीत की गई। दिनांक 25.09.1995 को कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश की पालना में किसी प्रकार का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली के साथ प्रस्तुत नहीं किया। इसके पश्चात दिनांक 16.05.1996 को नियम 266 के तहत पट्टा जारी करने

अति० जिला कलक्टर, पाली

के आदेश पारित किए। इसके पश्चात निर्धारित शुल्क जमा कराने पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। अब प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 के पट्टों को सम्मिलित करते हुए अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि प्रार्थी के पट्टे में दक्षिणी पूर्वी कोण पर जो चबूतरी है, जैर निगरानी पट्टा उसे सम्मिलित करते हुए जारी किया गया है, जो विधि अनुसार नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि का पट्टा पूर्व में ही प्रार्थी के पक्ष में जारी हो चुका था, इस कारण उसी भूमि का दुबारा पंचायत को पट्टा जारी करने की अधिकारिता नहीं थी। इस कारण निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत, गुड़ा कला द्वारा मिसल संख्या 02/1995–1996 संकल्प संख्या 06 दिनांक 16.05.1996 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 दिनांक 18.05.1996 को प्रार्थी के मकान के आगे पट्टासुदा चबूतरी की हद तक अपास्त किया जाता है एवं ग्राम पंचायत गुडा कलां को उक्त आदेश की अनुपालना में नियमों में विहित प्रक्रिया अनुसार संशोधित पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी करने के आदेश पारित किए जाते है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड आवश्यक लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 25/10/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली